यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। देश की सुरक्षा का सवाल है और ....(**व्यवधान**) मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। इस देश की सिक्योरिटी के सवाल को और जो टेरोरिस्ट कैम्पस वहां पर चल रहे हैं जो अब साबित हो गया है, हमें पाकिस्तान के साथ चाहे सार्क सम्मेलन में या दूसरी जगह टाप प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। यह जो हमारी सिक्योरिटी की तरफ खतरा है इस सिक्योरिटी के खतरे की तरफ हिंदुस्तान की सरकार लापरवाही न बरते। जो गुजराल डाक्ट्रिन है उसका मतलब यह न लगा दिया जाए कि हमारे देश की सिक्योरिटी उस डाक्ट्रिन से खतरे में पड़ी रहे।

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, एक मिनट। ये जो फिगर्स आपने बताए हैं यह आपको कहां से मिले।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: यह पाकिस्तान की न्यू इंटरनेशनल डेली...

श्री वसीम अहमद: मैं यह नहीं कह रहा हूं। जो आपने यह कहा कि 10 हजार पाकिस्तानी यहां आए हैं, एक लाख आए हैं, यह फिगर आपको कहां से मिली?

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: यह आपका जो जवाब है पार्लियामेंट के अंदर उस जवाब के अंदर यह कहा गया है कि पाकिस्तान से 10 हजार पहले आए 5 साल में और शुरू से लेकर अब तक एक लाख। वे लोग वीसा लेकर आए और यहां गायब हो गए। वे वापस नहीं गए और हमारी खुफिया रिपोर्ट ने, वे वापस नहीं गए, यह रिपोर्ट दी है।

RE: SUICIDE BY FODDER-SCAM ACCUSED

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): महोदया, इस सदन के अंदर माननीय सदस्यों ने बिहार के चारा कांड के संबंध में पूर्व में कुछ सवाल उठाए हैं। आज मैं भी आपके माध्यम से सदन तथा सरकार का ध्यान चारा कांड में एकाएक घटी एक गंभीर एवं अमानवीय घटना की ओर दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस चारा कांड के एक आरोपी हरीश खंडेलवाल ने धनबाद में ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। दिल्ली तथा बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ पर यह खबर छपी है। कुछ ने तो इसे बाक्स में छापा है। श्री खंडेलवाल की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें धनबाद के एक सी॰बी॰आई॰ अधिकारी पर अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक यंत्रणा देने का आरोप लगाया गया है जिसकी वजह से जलील होकर उसने आत्महत्या की है। श्री खंडेलवाल को सी.बी.आई. ने पूछताछ के लिए धनबाद बुलाया था। टाइम्स आफ इंडिया के 11 मई के अंक में छपी एक खबर के अनुसार हरीश के छोटे भाई संजय ने सी.बी.आई. के धनबाद स्थित जांच अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने तथा एक स्टेटमैंट पर जबर्दस्ती हस्ताक्षर कराए जाने की वजह से विवश और तंग होकर उनके भाई ने आत्महत्या की है। उसको एप्रूवर बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था।

महोदया, सी.बी.आई. पर इस प्रकार का आरोप लगना अत्यंत गंभीर बात है। सी.बी.आई. इस देश की एक ऐसी जांच एजेंसी है जिसको देश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। इसका आचरण तथा क्रियाकलाप विवादों तथा संदेह से परे समझा जाता रहा है। सभी दलों के लोगों ने इसकी निष्पक्षता देखते हुए कई मामलों में सी. बी.आई. से जांच कराने की मांग कर इस एजेंसी में अपना विश्वास व्यक्त किया है परंतु आज मैंने जिस घटना का जिक्र किया है उसकी वजह से एक बार शक की सुई सी. बी.आई. की तरफ घूम जाती है जो इस एजेंसी तथा देश के लिए चिंता की बात है। हरीश खंडेलवाल के सुसाइड नोट ने धनबाद के सी.बी.आई. अधिकारी तथा सी.बी. आई. को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है।

यह इस एजेंसी की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के लिए अच्छी बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह एजेंसी अपनी बड़ी शक्ति की वजह से निरंकुश होकर अपने कर्त्तव्यों तथा दायित्वों से अलग हो रही है या कुछ ऐसे पदाधिकारियों की इस एजेंसी के बड़े पदों पर नियुक्ति तो नहीं कर दी गई है जो इस पद पर रहते हुए राजनीति कर रहे हों या अपने राजनीतिक आकाओं के हाथ का खिलौना बन रहे हों? अगर ऐसा है तो यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के लिए बहुत घातक है। सी.बी. आई. द्वारा चारा घोटाले के संबंध में बार-बार प्रैस में जाना, चार्जशीट के संबंध में विवादास्पद बयान देना, गोपनीयता नहीं बनाए रखना, क्या यह इसके कोड ऑफ कंडक्ट के विरूद्ध नहीं है? क्या इस तरह से कंफ्यूज़न पैदा नहीं होता है? अत: मैं आपके माध्यम से सदन तथा सरकार से इस संस्था की भूमिका और क्रियाकलापों की समीक्षा के लिए एक आयोग के गठन का अनुरोध करता हूं, जो अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी देखे कि इस संस्था में नियुक्त होने वाला पदाधिकारी, खास कर सर्वोच्च पदाधिकारी किसी राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं हो और वह राजनीतिक हथियार

के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। वह पूरी तरह से निष्पक्ष हो और सिर्फ देश की जनता के प्रति जवाबदेह हो। साथ ही श्री हरीश खंडेलवाल की आत्महत्या की परिस्थितियों की जांच संसदीय समिति अथवा उच्च न्यायालय के जज से कराए जाने की मांग भी सरकार से करता हूं जिससे सी.बी.आई. की विश्वसनीयता पर किसी प्रकार की आंच न आने पाए और सी.बी.आई. संदेह के घेरे से बाहर निकल जाए तथा श्री खंडेलवाल के परिवार को भी न्याय दिया जा सके।

महोदया, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभापति: श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया। ....(**व्यवधान**) मेरे पास नाम लिखे हैं, जिनके नाम लिखे हैं ....(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य: मैडम, यह ....(**व्यवधान**)

उपसभापति: आपका नाम इसमें नहीं है। बहरहाल . ...(**व्यवधान**) आपने दिया होगा ....(**व्यवधान**) पहले इनको बोलने दीजिए, मैं आपको एलाउ कर दूंगी। .... (**व्यवधान**) अहलुवालिया जी। ....(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): मैडम .... (**व्यवधान**)

उपसभापति : मैं आपको भी एलाउ कर दूंगी।

श्री मोहम्मद आजम खान: मुझे एक मिनट लेना है। . ...(**व्यवधान**)

उपसभापति: जिनके नाम हैं पहले उनका हो जाए। .. ..(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद आज़म खान: बड़े नेता हैं....(**व्यवधान**) मैडम, यह तो कहते ही रहते हैं, हम तो कभी-कभी .... (**व्यवधान**)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (बिहार): यही इश्यू है तो ....(**व्यवधान**) बड़े नेता और छोटे नेता की क्या बात है। ....(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद आजम खान : इसी इश्यू पर कहना है। . ...(**व्यवधान**)

उपसभापति: इसी इश्यू पर एलाउ कर दूंगी। .... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद आजम खान: आपने मुझे पहले एलाउ कर दिया था इसलिए कह रहा हूं। ....(**व्यवधान**)

उपसभापति : नहीं, आप मेरे ....(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : एलाउ कहां करती हैं? .... (**व्यवधान**)

उपसभापति: मैं आपको एलाउ करूंगी, इनको बोल लेने दें। ....(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद आजम खान: मैं चेयर से बात कर रहा हूं, आप मुझसे न उलझें। ....(**व्यवधान**)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: परंपराओं को कुछ मान लीजिए ....(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will permit you Mr. Mohd. Azam Khan. I will permit you. His name is written because he has already given notice.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: उपसभापति महोदया, भंडारी जी ने जो मुद्दा उठाया है यह एक गंभीर मुद्दा है। इसके पहले इस सदन में मैंने सी.बी.आई. की कार्य प्रणाली पर कुछ मुद्दे उठाए हैं।

उपसभापति : सी.बी.आई. पर तो डिसक्शन होने वाला है। तो यह मुख्तसर जो चीज़ है उस पर बोल दीजिए। आप संक्षेप में बोल दीजिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदया, मैं मुख्तसर चीज़ पर ही आ रहा हूं। मैंने जो नोटिस दिया है, महोदया, शासन एवं न्याय के प्रति लोगों की आस्था होनी चाहिए, उसके प्रति आतंक नहीं होना चाहिए और मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं कि मैं यह मुद्दा किसी के पक्ष में या किसी को बचाने के लिए नहीं उठा रहा हूं। मैं जो ला ऑफ् नेचुरल जस्टिस है या ह्यूमैन राइट्स की बात है उसको उठाते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, हरीश खंडेलवाल की जो घटना घटी है इसके पीछे क्या कारण है? हमारे सरकार के कुछ नियम हैं। उन नियमों के माध्यम से कभी भी कोई भी घोटाला होता है तो उसमें जो अधिकारी निष्ठापूर्वक काम करते हैं तो उनको ईनाम के रूप में पदक मिलते हैं। राष्ट्रपति पदक देते हैं। पुलिस पदक मिलते हैं। अवार्ड मिलते हैं। कुछ दिन पहले सी॰बी॰आई॰ ने कैश अवार्ड की घोषणा की और वह कैश अवार्ड कुछ लोगों को दिया गया। महोदया, ऐसे पदक तब मिलते हैं जब कोई केस, कोई घोटाला का पूरा मसौदा तैयार कर देता है और उस पर अल्टीमेट कोर्ट से सजा हो जाती है तभी ऐसे पदक मिलते हैं। पर यहां अभी चार्जशीट फाईल नहीं हुई, अभी केस चल रहा है, केस इन्वेस्टीगेशन पर है, उस वक्त सी॰बी॰आई॰ ने कैश अवार्ड देने की शुरुआत की और पांच लाख का अवार्ड घोषित किया जिसमें से चार लाख का डिसबर्समेंट उन्होंने रांची और

धनबाद के इलाके में किया है। इसके बाद ऐसे लोगों के मुंह में खून लग गया है। येन-केन-प्रकारेण किसी तरह भी हमें अवार्ड लेने के लिए केस बनाना है और हरीश खंडेलवाल इस की एक जीती-जागती मिसाल है। उसे 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को सी०बी०आई० ने बुलाया, यह अखबार में लिखा हुआ है और उस की जेब से जो नोटिस मिला, उस में 7 तारीख को, 8 तारीख को उपस्थित होने के लिए लिखा था। पर 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को जो यातनाएं उस पर की गयीं उस कारण 8 तारीख को सी०बी०आई० के दफ्तर में जाने से पहले उस ने यह सोचा कि मैं मर जाऊं प्राण त्याग दूं, आत्म-हत्या कर लूं, पर उन के दफ्तर में जाकर अपनी बयानबाजी न करूं और बयान पर दस्तखत न करूं। महोदया, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है। सी०बी०आई० हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था है और हमें उस पर गर्व होना चाहिए। हमें उस पर पूरी आस्था होनी चाहिए, पर यह उस के प्रति आतंक व्याप्त क्यों हो रहा है? उस के पीछे कारण है यह कैश अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना।

महोदया, हमारा इंडियन जूरिप्रूडेंस कहता है कि:

Till the guilt is proved, everybody is innocent before the law.

पर यहां अभी अक्यूज्ड का नाम आया नहीं, चार्जशीट फाइल नहीं हुई लेकिन उसे बुलाया जा रहा है, इतनी यातनाएं दी जा रही हैं, उस को लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के जितने कानून हैं, उन से ऊपर रखा गया और ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया गया। इसलिए आप के माध्यम से मैं मांग करूंगा कि इस मामले की पूरी छानबीन करने की जरूरत है। महोदय, मैं मांग करता हूं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक इंक्वायरी कमीशन गठित किया जाय और इसे जांच के लिए भेजा जाय और सिर्फ यही नहीं जिस ने भी सूसाइड कर लिया ...(व्यवधान)... हत्या भी हुई तो किस ने की? मैं तो कहता हूं कि हत्या हुई है तो उस की इक्वायरी हो कि कौन इस के पीछे है? अगर हत्या हुई है तो उस के संबंध में हम जानना चाहते हैं, सदन जानना चाहता है? यह सवाल मेरे दिमाग में भी था और मैं ने धनबाद फोन कर के उस की पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछा था। तो धनबाद मेडिकल कॉलेज के डाक्टरों ने कहा कि साहब अगर यह हत्या हुई होती तो वहां जमीन पर खून नहीं बहता। खून पानी हो गया होता, पर यह तो एकदम फ्रेश डेड बॉडी एक्सीडैंट में कटी हुई नजर आई और पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि उस ने ट्रेन से कूदकर आत्म-हत्या की। महोदया, कोई भी आदमी मजबूर होकर ही आत्म-हत्या करने का निर्णय लेता है, जोकि उस का सर्वोच्च निर्णय है और घृणित निर्णय है। यह दर्शाता है कि उस ने किन मानसिक यातनाओं को भोगा और यह निर्णय लिया। उपसभापति महोदया, मैं मांग करता हूं कि मानव अधिकार आयोग के माध्यम से वहां एक इंक्वायरी कमीशन भेजा जाय। सिर्फ यही नहीं जेल में एनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमैंट के जो एक्यूज्ड बंद हैं, उन से भी जबर्दस्ती थर्ड डिग्री इनवेस्टीगेटिंग टॉर्चर कर के उन से कनफेशनल स्टेटमैंट्स लिए गए हैं। उन का भी आरोप है और वह भी जगह-जगह अपनी आवाजें उठा रहे हैं। उन से भी जाकर पूछा जाय कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत उन को कोई मौका दिया गया था या जो मानव अधिकार आयोग के जो अधिकारी हैं, उन के तहत सुना गया था या नहीं?

उपसभापति: अहलुवालिया जी, अभी और बहुत से नाम हैं।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: महोदया, कैश अवार्ड लेने के लिए जबर्दस्ती केस बनाना, यह नहीं चल सकता।

SHRI JIBON ROY: (West Bengal), Madam, he is influencing the investigations.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am not influencing the investigations.

And you are not an investigating officer.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: (West Bengal), Madam, I am on a point of order.

SHRI S.S. AHLUWALIA: There is no point of order.

महोदया, मेरा कहना है कि चाहे यह हत्या हो या आत्म-हत्या हो इस की पूरी जांच करने की जरूरत है। मैं आप के माध्यम से ह्यूमन राइट्स कमीशन से डिमांड करता हूं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का डेलीगेशन जाकर इस बारे में पूरी इंक्वायरी करे और सदन के पटल पर पूरी रिपोर्ट रखे।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, may I make a point/?

SHRI S.S. AHLUWALIA: There is no point of order during Zero Hour. Let me finish. Then, you raise the point of order. मैडम वहां पर इस तरह से कैश अवार्ड लेने के लिए लोगों को फंसाया जा रहा है और उन से कनफेशनल स्टेटमैंट साइन कराए जा रहे हैं।

उपसभापति: अहलुवालिया जी, आप बैठ जाइए।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I have to make a point. You are in the Chair. I would like you to react to one thing. The point

is.CBI is conducting the enquiries. These enquiries are being conducted on the orders of the Court. Then, how come the hon. Member knows that deliberate attempts are being made to extract confessional statements from the accused and third degree torture is being done on them?

SHRI S.S. AHLUWALIA: A hand-written note was found on Mr. Khandelwal's person.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, it is holding of brief. (*Interruptions*) It is holding of brief for those who...

THE DEPUTY CHAIRMAN: *Aap bathiye*, you have said enough. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, those are the people who have looted the country and looted the people's money. (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: How do you say that? (*Interruptions*) Don't say that.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: How do you know this? (*Interruptions*) How do you know this?

SHRI S.S. AHLUWALIA: Don't say that? Mr. Gurudas Das Gupta, behave yourself. (*Interruptions*) Why did you say that I am holding a brief? (*Interruptions*) It is a matter of privilege. I will raise anything I like. But how can he say that I am holding a brief? Let him withdraw his words. Let him withdraw his words. I am not holding anybody's brief. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: You are holding someone's brief.

... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, order in the House. (*Interruptions*) One second. (*Interruptions*) Just one second, please.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam, ask him to withdraw his words.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will. I will. ...(व्यवधान)..... आप बैठिए, तो ही मैं कहूं। ...(व्यवधान)... आप बैठिए।

SHRI S.S. AHLUWALIA: This is too much. You are suspecting the integrity of a Member. You are challenging.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is not correct.

SHRI MD. SALIM: (West Bengal) Don't stretch it too far, Mr. Ahluwalia. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): No, no. What does he mean by saying that he is holding a brief? A Member has got the right to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me handle it, please. Mr. Narayanasamy, please sit down. (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: I know how honest you are. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ahluwaliaji, please sit down.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, he cannot accuse like this. The hon. Member is only bringing it to the notice of the House. How can he say, "You are holding a brief for those who are looting the country"? This has to be decided by the court. (*Interruptions*) The court has to decide it. You can't decide it. (*Interruptions*) How can you say that the country is being looted?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, the loot is clear. The loot is clear (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just one second. (*Interruptions*) Please sit down. (*Interruptions*) Let me speak. Since you keep on interrupting, I cannot give my reply or ruling or direction or whatever you may call it. (*Interruptions*) Please keep quiet. (*Interruptions*) Can you keep quiet?

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, he cannot...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you keep quiet, Mr. Narayanasamy?

SHRI V. NARAYANASAMY: That means we cannot raise it, only Mr. Gurudas Das Gupta can raise it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have heard your point of view and also Ahluwalia's and everybody else's. Mr. Gurudas Das Gupta, Members come and speak on different issues in this House. The issues may be controversial, which is most of the time, or may not also be controversial sometimes. But a Member has the right to put his view-point. Now, he has taken

the permission of the hon. chairman. When he puts his view-point, how can you say that he is holding a brief? It is very unfortunate if anybody says that. Tomorrow if you take up an issue, howsoever worthwhile it is, if one Member who is opposed to it gets up and says that you are holding someone's brief, then it is denigrating the status of an M.P. He made his point. *(Interruptions)* Just a minute. We have had many discussions. Many scams were discussed in this House. JPCs were appointed. But till the final result comes, everybody has his own doubts, as he has his own doubts and objections, and he raised it. If you also have a doubts and objections, you can also take the permission of the hon. Chairman and raise it. But the main thing is that I would not allow any Member to accuse another Member of holding a brief. Either you withdraw these words or I will expunge them. I am not going to allow such allegations.

SHRI M.A. BABY (Kerala): Madam, can a Member say that he is holding a brief-case?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't make a joke of it. Mr. Baby, it is a very serious matter. *(Interruptions)* Ahluwaliaji, please sit down. *(Interruptions)* Just one second. Tomorrow you may raise an issue and somebody might say that. *(Interruptions)* Please, let me he heard. Let us not create such a precedent in this House that each and every Member is accused of holding somebody's brief. Definitely, every Member is holding his own brief and he has got his own point of view. You cannot accuse him. Please don't do this in this House, not when I am in the Chair. I won't permit it. So, please withdraw it.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I only say that I have deep respect for my hon. friend. But that is not the issue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. Please withdraw.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If he argues in this way, that tantamounts to holding a brief. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You withdraw it.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I didn't mean it. But if he is hurt, I withdraw it.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam, ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute. Let me... *(Interruptions)*

आप बैठ जाइए। आपका हो गया। ....(व्यवधान)... .. नहीं, आपका हो गया। आप बैठिए।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam, I am not saying anything. I just want to put the record straight. I want to read out the submission that I made to the hon. Chairman and that was permitted by the hon. Chairman. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I am not allowing it.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I submited to the hon. Chairman, Please allow me to raise an important issue on AHD Scam. *(Interruptions)* ...allurements to his men by giving cash rewards which resulted ... *(Interruptions)* that the investigating officers are framing cases by hook or crook and using all sorts of third-degree methods which is against the law of natural justice and human rights.

MaJam, one of the accused preferred to commit suicide...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Ahluwalia, please ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: rather than face the third degree interrogation.

The Government must stop this type of denying natural justice to...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Ahluwalia, please sit down.

SHRI S.S. AHLUWALIA : ...accused who are not yet found guilty. ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद सलीम : अहलुवालिया जी, पहली बार ऐसा हुआ कि आप 15 मिनट बोलने के बाद भी ... (व्यवधान)...

†[شری محمد سلیم : آہلووالیہ جی - پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ ۱۵ منٹ بولنے کے بعد بھی ...]

SHRI S.S. AHLUWALIA : I was permitted by the hon. Chairman.

I don't need your permission. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : बैठिए आप खड़े क्यों हो जाते हैं.

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

It is a fight between them. You unnecessarily create a problem. Please sit down.

SHRI GURDAS DAS GUPTA : What is the source?

THE DEPUTY CHAIRMAN : You are nobody to ask the source. The hon. Chairman must have satisfied himself before giving him the permission. You cannot ask, what is the source? ...*(Interruptions)*... No, my judgement is very clear. ...*(Interruptions)*... Please sit down.

SHRI S.S. AHLUWALIA : Mr. Gurudas Das Gupta, don't become a champion.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes. Mr. Gurudas Das Gupta, it is not proper that for everything you just get up and question the Member's intention. This is not fair. ...*(Interruptions)*... No, I am not allowing it. Now Shri Dipankar Mukherjee.

AN HON. MEMBER : Shri Nilotpal Basu.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes, Mr. Nilotpal Basu. If all of you get up together, I even forget whether it is Shri Ahluwalia or Shri Dipankar Mukherjee or Shri Nilotpal Basu. ...*(Interruptions)*... I have told you that I will call you. Shri Nilotpal Basu.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) : Madam, certain reports have been quoted to prove that Harish Khandelwal had committed suicide. The same report also contains a conflicting version that he might have actually been murdered. This has been stated by no less a person than the brother of the person who is alleged to have committed suicide. Now, my point is that the CBI is conducting an inquiry into the fodder scam not on its own. It is conducting the inquiry under the jurisdiction of the court and their investigation process is being monitored by the court. Therefore, strictly speaking, Madam, issues and developments arising out of the investigation process are basically a *sub judice* thing. We are witnessing in this House many times that questions are being posed about the manner in which the CBI conducts inquiry. Madam, this ia a very, very wrong thing because we have to protect the dignity of the House.

The people cannot appreciate the fact that political parties are giving conflicting views and arguing in Parliament in favour or against the CBI. That does not really protect and uphold the dignity of Parliament.

Therefore, at this point of time, we should also be aware of the kind of perception that the man in the street has about the political process, about the political persons. The point is that the investigation is going on and whatever has to be proved or disproved has to be done in the court of law. Why do we preempt the rigths and privileges of the court to speak out whether the process of investigation is fair or unfiar, whether it is violative of natural justice or not? Thank you, Madam.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA (Uttar Pradesh) : Madam, I associate myself with the hon. Member.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Azam Khan.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : मैडम, अब इनको ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shastriji, I know what I am doing. You need not remined me. I know that he is a Member of this House.... *(Interruptions)*...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : बोलने का अवसर दिया जाए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं.

THE DEPUTY CHAIRMAN : मैंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, आप बैठिए तो बोलिए आजम खान साहब।

श्री मोहम्मद आज़म खान : उपसभापति महादेया, मामला इतना गर्म हो गया है और सी॰बी॰आई॰ जैसी जांच एजेंसी जब हाऊस में डिस्क्स होने लगे, चाहे वह चर्चा उसके हक में हो या खिलाफ हो, यह बात पूरे मुल्क के लिए और इतनी बड़ी एजेंसी के लिए अफसोसनाक भी है और हमारे लिए सोचने की भी है। अभी तक पूरे देश में कोई कितना ही बड़ा नेता हो, अधिकारी हो, हाऊसेज में कभी सी.बी॰आई॰ के बारे में इस तरह के डिस्कशंस नहीं हुए हैं। इस पर सोचना चाहिए सरकार को भी और दोनों सदनों को भी।

महोदया, मेरा इसमें सिर्फ यह सुझाव है कि कोई भी केस चाहे वह मर्डर का हो, चाहे वह सुसाईड का हो, इसको देखने की जिम्मेदारी उस प्रशासनिक तंत्र की है जो इसकी जांच करता है। असली सुबूत वह कागज है जो

उसकी जेब से निकला है। यह देखना होगा कि यह तहरीर उस शख़्स की है या नहीं। अगर यह तहरीर मरने वाले की है तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए। यह मुल्क कानून से चलता है, आस्थाओं से या जज्बात से नहीं चलता। हमारी किसी से कोई सियासी मुखलिफ़्त हो सकती है। हम आज दोस्त हो सकते हैं, कल दुश्मन और परसों फिर दोस्त हो सकते हैं। मैं इस संदर्भ में एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूं–

"दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे,

जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हों"

महोदया, जो कागज उसकी जेब से निकला है, उस कागज़ को बुनियाद मानते हुए एक बुनियादी सवाल यह खड़ा होता है कि कानून में यह व्यवस्था है कि कोई शख़्स जो मरने वाला है या मरने से पहले उसका कोई बयान आता है जो डेथ डिक्लेयरेशन कहलाएगा, कानून यह मानकर चलता है कि मरते वक्त या मरने से पहले मरने वाले का अगर कोई बयान है तो वह सच्चा होगा क्योंकि मरने वाला मरते वक्त झूठ नहीं बोलता है। जिस मरने वाले ने अपनी जेब में ऐसा कागज़ छोड़ा है जिसमें यह लिखा है, कि मेरे मरने की वजह यह है लिहाजा कानून की यह जिम्मेदारी है कि जिस अधिकारी के नाम का यह कागज निकला है, 24 घंटे के अंदर इस मामले की जांच करके उसे दफा 302 का या 120 बी का मुलजिम बनाए। यह कानून है और देश कानून से हटकर नहीं चल सकता। मैं सी॰बी॰आई॰ जांच के खिलाफ या किसी अधिकरी के खिलाफ आज तक सदन में इस तरह नहीं बोला हूं और न मैंने कुछ किया है इस मौजू पर, लेकिन कानून यह है कि जब यह कागज निकला है, वह अधिकारी चाहे किसी भी स्तर का हो, उसका नाम आया है और मरने वाले व्यक्ति ने उसके खिलाफ यह कागज़ छोड़ा है। चुनांचे कानून की यह जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वह कोई भी अधिकारी हो, अगर बड़े से बड़ा नेता हथकड़ी पहनकर जेल जा सकता है तो कम से कम इस मुल्क में रहने वाले उन अधिकारियों के बारे में भी यह धारणा बननी चाहिए कि वे कानून से ऊपर नहीं में अधिकारी भी दोषी ठहराया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री जर्नादन यादव (बिहार): महोदया, रामदेव भंडारी जी और अहलुवालिया जी ने जो प्रश्न उठाया है वह सचमुच बहुत दु:खद प्रश्न है। सी॰बी॰आई॰ के कार्यालय में जाना, लौटकर आना और आत्महत्या करना, यह एक न्यूज़ निकली है लेकिन एक दूसरी भी न्यूज़ है कि हरीश खंडेलवाल को इस तरह से लोगों ने तंग किया। उस क्षेत्र में आज भी यह शंका बनी हुई है कि वह हत्या है या आत्महत्या है। दोनों तरह की चर्चा है। हत्या करने की भी चर्चा है। और आत्महत्या की भी चर्चा है। जहां तक सी. बी.आई. का सवाल है, सी॰बी॰आई॰ की जो विश्वसनीयता थी, आज उन्होंने अपने व्यवहार से उस विश्वसनीयता को खो दिया है। महोदया, ये थर्ड डिग्री मैथड तो थाने के दरोगा प्रयोग करते हैं, सी॰बी॰आई॰ इसका प्रयोग नहीं करती है। वे तो सॉफैस्टिकेटेड मैथड का प्रयोग करते हैं। इसकी जांच आवश्यक है। हरीश खंडेलवाल की जो हत्या या आत्महत्या हुई है, इसकी जांच सी॰बी॰आई॰ के बाहर होनी चाहिए, सी॰बी॰आई॰ के द्वारा नहीं। लोगों को यह भी शक है कि चारा घोटाले में जो अभियुक्त हैं, उनको बचाने की कार्यवाही चल रही है।

उपसभापति: नारायणसामी जी, अब आप बोलिए।

श्री नागमणि (बिहार): मैडम, मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)

उपसभापति : अब यह विषय खत्म हो गया। बहुत लोग बोल चुके हैं। मेरे पास जो नाम थे, मैंने उनको बुला लिया है ...(व्यवधान)

श्री नागमणि: मैंने नोटिस दिया था।

उपसभापति: आपका नोटिस था लेकिन वह क्लियर नहीं हुआ ...(**व्यवधान**)

श्री नागमणि: हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमने नोटिस दिया था ...(व्यवधान)

उपसभापति : अभी बैठिए, इस पर बहुत चर्चा हो गई है। सी॰बी॰आई॰ के ऊपर चर्चा चेयरमैन साहब ने एलाऊ की है, आप उस में बोल लीजिएगा। अब इसमें बोलने को कुछ रहा नहीं ...(**व्यवधान**) ऐसे तो पूरा हाऊस बोल सकता है ...(व्यवधान) बैठ जाइए, आपका नाम नहीं है ...(**व्यवधान**) अभी टाईम नहीं है, हाऊस का टाईम जा रहा है। हमने दोनों तरफ की बात सुन ली है, अब आप बैठ जाइए। नारायणसामी जी, आप बोलिए।

RE: CASTE CLASHES IN SOUTHERN DISTRICTS OF TAMIL NADU

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak. The issue that I am going to raise is with regard to the caste clashes that are occuring in the southern districts of Tamil Nadu.